राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1827/2025

राजेश कुमार मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, समेकित बाल सेवायें एवं पंचायतीराज (आईसीडीएस) विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
3. नरेश मीना, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बसवा से उच्चैन (स्थानान्तरणाधीन)

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.01.2025
आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री जय सिंह राठौड़, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : **श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता**

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान पर किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से कामां, जिला डीग में रिक्त पद पर 220 कि.मी. दूर किया गया है तथा उक्त आदेश के द्वारा ही क्रम संख्या 74 पर अंकित श्री मनीष मीना का स्थानान्तरण महवा दौसा से रामगढ़, पचवारा, दौसा में अपीलार्थी के स्थान पर किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के अन्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा श्री मनीष मीना

का स्थानान्तरण रदद् करते हुए निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का स्थानान्तरण बाल विकास परियोजना अधिकार, बसवा से उच्चैन (स्थानान्तराणाधीन) से बाल विकास परियोजना अधिकारी, रामगढ़ पचवाड़ा, दौसा में किया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा 11 माह बाद ही बिना प्रशासनिक आवश्यकताओं के स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से अन्य जिले में करने से पूर्व प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग से कोई सहमति/अनुमोदन नहीं लिया गया, जबकि अपीलार्थी का नियंत्रण जिला परिषद् के पास रहता है। इस प्रकार आलोच्य आदेश दिनांक 15.01. 2025 राजस्थान पंचायती राज (स्थानांतरित गतिविधिया) नियम, 2011 के नियम 8(iii) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। अपीलार्थी के 66 वर्षीय वृद्ध पिताजी अस्थमा, थाइराइड, प्रोस्टेट की बीमारियों से ग्रसित है, जिनका ईलाज एपेक्स हॉस्पिटल, मालवीय नगर, जयपुर में चल रहा है। अपीलार्थी के बड़े भाई का पदस्थापन सिरोही जिले में वर्ष 2007 से ही है तथा अपीलार्थी की माताजी का पूर्व में ही स्वर्गवास हो चुका है, इस कारण अपीलार्थी ही अपने पिताजी की सम्पूर्ण तरीके से देखरेख व सेवा–सुश्रुषा कर रहा है। (अनुलग्नक–3)। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15. 01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक निरस्त किया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का

अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य